



भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग,  
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्कबोर्ड  
Government of India  
Ministry of Finance, Department of  
Revenue  
Central Board of Indirect Taxes and  
Customs



सत्यमेव जयते

आयुक्तका कार्यालय  
केंद्रीय माल एवं सेवा कर, दमण आयुक्तालय  
Office of the Commissioner  
Central G.S.T., Daman Commissionerate  
माल एवं सेवा कर भवन, आर. सी. पी. कम्पाउंड, वापी-  
३९६१९१  
G.S.T. Bhavan, RCP Compound, Vapi-  
396191

commr-cexdaman@nic.in

Ph: 0260-2460305

Fax: 0260-2460484

**ESTABLISHMENT ORDER NO. 19 /2022**

**VAPI, DATED 28.06.2022**

विषय : माल एवं सेवा कर तथा केन्द्रीय उत्पाद  
शुल्क, दमण हवलदार/ हेड हवलदार समूह "ग" के  
ग्रेड में स्थांतरण एवं तैनाती हेतु।

Sub: Transfer and Posting in the Grade  
of Havaldar/Head Havaldar- Group-C of  
CGST & CE, Daman Commissionerate -  
reg.

\*\*\*\*\*


माल एवं सेवा कर तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, दमण के  
हवलदार/ हेड हवलदार समूह "ग" में पोस्टिंग को तत्काल  
प्रभाव से और अगले आदेश तक के लिए आदेश दिया गया  
है जो निम्नलिखित है:-

\*\*\*\*\*  
The following postings in the grade of  
Havaldar/ Head Havaldar of CGST & CE,  
Daman Commissionerate is hereby ordered  
with immediate effect and until further  
orders:-

Sr. No.	Name of the officer (S/Shri) अधिकारी का नाम (श्रीमति / श्री)	Designation (पदनाम)	Present place of Posting (पोस्टिंग की वर्तमान जगह)	New place of posting (पोस्टिंग की नई जगह)
1.	बिपिनभाई ई. पटेल Bipinbhai I. Patel	हेड हवलदार Head Havaldar	मण्डल-IX Division-IX	मण्डल- VI Division -VI
2.	भावेश र. कामदार Bhavesh R. Kamdar	हेड हवलदार Head Havaldar	मण्डल -III Division-III	मण्डल- IV Division-IV

2. यह आदेश आयुक्त, माल एवं सेवा कर तथा  
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, दमण की मंजूरी के साथ  
जारी किया जाता है।

2. This issues with the approval of the  
Commissioner, CGST & CE, Daman.

  
लाल दास /Lal Das

उपायुक्त (का. व. स्था.)/Deputy Commissioner (P&E)

F. No. II/03-06/2019-Estt.

Vapi, date: 28.06.2021

प्रतिलिपि:

1. आयुक्त / अपर आयुक्त के निजी सहायक., केंद्रीय माल एवं सेवा कर, दमण।
2. उप/सहायक आयुक्त, मण्डल-III, IV, VI, एवं IX, केंद्रीय माल एवं सेवा कर, दमण।।
3. मुख्य लेखा अधिकारी (Exp.), केंद्रीय माल एवं सेवा कर, दमण।
4. वेतन लेखा अधिकारी, केंद्रीय माल एवं सेवा कर, दमण।
5. अधीक्षक (सतर्कता), केंद्रीय माल एवं सेवा कर, दमण।
6. अधीक्षक (प्रशासन), केंद्रीय माल एवं सेवा कर, दमण।
7. व्यक्तिगत / गार्डफाइल।